न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

नियमित जमानत आवेदन पत्र सं0–658 / 2026

ताजपुर थाना कांड सं0–65 / 2026
अन्तर्गत धारा–103(1),3(5) भा0 न्या0 सं0 एवं धारा 27 शस्त्र अधि0
घुरन सहनी.....आवेदक
बनाम्
बिहार सरकार.....विपक्षी

11.06.2026 काराधीन अभियुक्त / आवेदक घुरन सहनी, पे0–स्व0 महेन्द्र सहनी, की ओर से नियमित जमानत आवेदन–पत्र दाखिल किया गया है जिसकी प्रति लोक अभियोजक, समस्तीपुर को दी गई है।

अभियोजन वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचिका का पति प्रमोद कापर जो रेलवे में लोको पायलट थे, जो दिनांक 02.04.2026 को 11.00 बजे डियूटी से अपने घर आने के दौरान मोरवा पंचायत के दर्जिनिया पुल पेट्रोल पम्प के समीप घात लगाकर अपराधी मनीष कापर, रजनीश कापर, शिवगंगा कापर, युवराज कापर, संजय कापर, अनिल कापर, सुनील कापर, सुशील कापर, भोला कापर वगैरह ने मिलकर उसके पति प्रमोद कापर को गोली मारकर व रॉड, पत्थर से बेरहमी से हत्या कर दिया। उपरोक्त अपराधियों द्वारा पूर्व से लगाकर उसके पति एवं उसके परिवार को हत्या की धमकी दिया जा रहा था।

नियमित जमानत आवेदन–पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद महतो एवं विद्वान अपर लोक अभि0, समस्तीपुर को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है एवं आवेदक दिनांक 08.05.2026 से कारा में है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है एवं आवेदक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर इस वाद में रिमाण्ड किया गया है। इस केस का मृतक आवेदक का दामाद है एवं आवेदक की पुत्री व मृतक की पत्नी इस वाद की सूचिका है। इस वाद के अनुसंधानकर्ता आरोपी को बचाने के लिए अनुसंधान को दूसरी तरफ मोड़ रहे है। इस वाद की सूचिका द्वारा अपर मुख्य न्यायिक दण्डा0, प्रथम, समस्तीपुर के न्यायालय में एक आवेदन दाखिल की है जिसमें कथन किया गया है कि प्राथमिकी नामित सभी अभियुक्तगण ने यह जघन्य अपराध, अर्थात उसके पति की हत्या की है तथा उसे अन्य व्यक्तियों पर कोई संदेह नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदक के पलायन एवं उसके द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़–छाड़ की भी संभावना नहीं है तथा बंध–पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाये।

विद्वान अपर लोक अभियोजक जमानत आवेदन पत्र का विरोध किए।

अभिलेख एवं केस डायरी का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी सूचिका गीतांजली कुमारी के आवेदन–पत्र के आधार पर धारा 103(1),3(5) भा0 न्या0 सं0 एवं धारा 27 शस्त्र अधि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचिका के पति प्रमोद कापर को गोली मारकर व रॉड, पत्थर से

Web Copy

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, समस्तीपुर

नियमित जमानत आवेदन पत्र सं0–658 / 2026

ताजपुर थाना कांड सं0–65 / 2026
अन्तर्गत धारा–103(1),3(5) भा0 न्या0 सं0 एवं धारा 27 शस्त्र अधि0
घुरन सहनी.....आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

लगातार

11.06.2026 बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगाया गया है जिसका समर्थन केस दैनिकी की कंडिका 10 में वादिनी ने अपने पुनः बयान में एवं कंडिका 11 में साक्षी ने किया है। केस दैनिकी की कंडिका 93 में इस केस के संदिग्ध मंजीत कुमार के संस्वीकृति बयान के आधार पर अभियुक्त का नाम घटना कारित करने में पिस्तौल गोली देकर सहयोग करने के रूप में आया है जिसके आधार पर पिस्तौल एवं गोली बरामद हुआ है जिसका उल्लेख केस दैनिकी की कंडिका 96 में है। केस दैनिकी की कंडिका 84, 85 में साक्षियों ने इस घटना में आवेदक की संलिप्तता का समर्थन किया है। आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति गंभीर है।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक अभियुक्त घुरन सहनी का नियमित जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

ह0 / –

प्र0 अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम

समस्तीपुर

Web Copy